ANNEXURE

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239368
CG-DL-E-06102022-239368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4532] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944**
No. 4532] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4742(अ).—ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को झेलते आ रहे तथा उसके परिणामस्वरूप पिछड़ेपन का सामना करने वाले कतिपय व्यक्ति समूहों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जातियां घोषित किया गया है।

और जबकि कतिपय समूहों ने राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से अनुमति प्राप्त धर्मों के अलावा अन्य धर्मों के नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करके अनुसूचित जाति की मौजूदा परिभाषा में संशोधन करने हेतु प्रश्न उठाया है तथा इसके विपरीत अनेक समूहों ने इसका विरोध किया है। मौजूदा अनुसूचित जातियों के कतिपय प्रतिनिधियों ने नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने का विरोध किया है। और जबकि यह एक मौलिक एवं ऐतिहासिक रूप से जटिल समाजशास्त्रीय तथा संवैधानिक प्रश्न है और एक सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला है।

और जबकि इसके महत्व, संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए इससे संबंधित परिभाषा में कोई भी परिवर्तन विस्तृत और निश्चित अध्ययन तथा सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए। अभी तक जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अंतर्गत आयोग ने इस मामले की जांच नहीं की है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे नामत: -

अध्यक्ष

न्यायमूति के.जी. बालाकृष्णन, (भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश)

सदस्यगण

i) डॉ. रविन्दर कुमार जैन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) (एचपी-1981)

ii) प्रो. (डॉ.) सुषमा यादव, (सदस्य, यूजीसी)

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-

i. संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्म में धर्मान्तरित तथा ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने संबंधी मामले की जांच करना;

ii. अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची के हिस्से के रूप में ऐसे नए व्यक्तियों को जोड़ने से मौजूदा अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना;

iii. अन्य धर्मों में धर्मान्तरण के बाद रीति-रिवाज, परम्परा सामाजिक तथा अन्य दर्जा संबंधी भेद-भाव करने व लाभवंचित करने, तथा अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के प्रश्न पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के संदर्भ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आए बदलावों की जांच करना; और

iv. किसी भी अन्य संबद्ध प्रश्न की जांच करना जो आयोग केंद्र सरकार के परामर्श और सहमति से उचित समझे।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. आयोग अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. आरएल-12016/9/2021-आरएल सैल]

सुरेन्द्र सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

S.O. 4742(E).—Whereas certain groups of persons who have historically suffered social inequality, discrimination and the consequent backwardness resulting therefrom, have been declared to be Scheduled Castes by Presidential Orders issued from time to time under article 341 of the Constitution of India;

And whereas, certain groups have raised the question of revisiting the existing definition of Scheduled Castes by according the status to new persons who belong to other religions beyond those permitted through Presidential Orders, and in contrast, many other groups have also opposed the same; And whereas, certain representatives of the existing Scheduled Castes have objected to such granting of Scheduled Caste status to new persons; And whereas, this is a seminal and historically complex sociological and constitutional question, and a definite matter of public importance;

And whereas, given its importance, sensitivity and potential impact, any change in definition in this regard should be on the basis of a detailed and definitive study and extensive consultation with all stakeholders and no Commission under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) has so far inquired into the matter,

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of following persons, namely:-

Chairperson

Justice K. G. Balakrishnan, (Ex-Chief Justice of India)

Members

i) Dr. Ravinder Kumar Jain, IAS (Retd) (HP- 1981)

ii) Prof. (Dr.) Sushma Yadav, (Member, UGC)

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows:-

(i) to examine the matter of according Scheduled Caste status to new persons, who claim to historically have belonged to the Scheduled Castes, but have converted to religion other than those mentioned in the Presidential Orders issued from time to time under article 341 of the Constitution;

(ii) to examine the implications on the existing Scheduled Castes, of adding such new persons as part of the existing list of Scheduled Castes;

(iii) to examine the changes Scheduled Caste persons go through on converting to other religions in terms of their customs, traditions, social and other status discrimination and deprivation, and the implication of the same on the question of giving them Scheduled Caste status; and

(iv) to examine any other related questions that the Commission deems appropriate, in consultation with and with the consent of the Central Government.

3. The Headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

4. The Commission shall submit its report within a period of two years from the date of taking over of the charge by the Chairperson.

[F. No. RL-12016/9/2021-RL Cell]

SURENDRA SINGH, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.06 18:56:21 +05'30'